


छत्तीसगढ़ राज्य में फसल उत्पादन क्षेत्र



बागवानी फसल

राज्य में उद्यानिकी फसलों का कुल रकबा लगभग 7.70 लाख हेक्टेयर है। इसके अन्तर्गत चाय, टमाटर, आलू आदि को शामिल किया जाता है।



नोट:- छ.ग. में 10 वी पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन "राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन" प्रारम्भ किया। बागवानी क्षेत्र के समन्वित विकास के 2005-06 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (N.H.M.) प्रारंभ किया गया।

बागवानी फसल उत्पादन की स्थिति (2015-16)

बागवानी मद	रकबा क्षेत्र (हेक्टे.)	उत्पादन	उत्पादकता (मि.टन प्रति हे.)
सब्जियों का रकबा (Vegetable Plant)	6061801	6061801	13.81
फलों रकबा (Frutis)	239676	2328811	9.72
मसालों का रकबा	659192	659192	7.04
औषधि का रकबा (Medicinal Plant)	59972	59972	7.03
फूलों का रकबा (Flowers)	52915	52915	4.63

• उद्यानिकी क्षेत्र में सब्जियों का (फसल क्षेत्र सर्वाधिक है।)

स्त्रोत - आर्थिक समीक्षा 2016-17 (छ.ग. शासन) पेज क्र.- 93

कृषि विपणन :- स्त्रोत - आर्थिक समीक्षा 2015-16 (छ.ग. शासन)

कुल धान उपार्जन केन्द्र - 1976

प्राथमिक कृषि साख समिति - 1333

कुल उप कृषि मंडी - 118

कुल कृषि उपज मंडी - 69

नोट :- छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड का गठन 23.12.2003 को।

पशुधन विकास

- ◆ कृषि पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय के अधीन
- ◆ 2 दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय
- ◆ 3 पशु चिकित्सालय
- ◆ 4 कामधेनु वि.वि.
- ◆ 1 राज्य पशुपालन एवं विकास निगम
- ◆ छ.ग. राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण
- ◆ सुकर प्रजनन क्षेत्र
- ◆ बकरी प्रजनन क्षेत्र
- ◆ पशु प्रजनन केन्द्र
- ◆ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ
- ◆ 2010 - 11 में दुग्ध उपलब्धता
- ◆ पशु गणना 2011 के आधार पर
- ◆ छ.ग. में पशुधन
- ◆ गोवंशीय
- ◆ भैसवंशीय
- ◆ पशु 2007 के आधार पर पशुधनत्व
- रायपुर (1983)
- अंजोरा (दुर्ग) - (1984)
- अंजोरा (दुर्ग) - (2012)
- रायपुर (1982)
- रायपुर (2001)
- 1. सकोला (सुरजपुर), 2. परचमपाल (जगदलपुर), 3. कुनकुरी (जशपुर)
- 1. पकारिया (पेण्ड्रा), 2. सरोरा (रायपुर), 3. रामपुर (ठाठापुर - कवधी)
- 1. सरकण्डा (बिलासपुर), 2. पकरिया (पेण्ड्रा बिलासपुर), 3. चंदुखुरी (रायपुर).
- 4. अंजोरा (दुर्ग)
- 1983 (रायपुर) सांची ब्रांड - 2011 देवमोग
- 128 Gm/day (India 300 gm/day/pre)
- 1.22 करोड़ पशुधन + 81.64 लाख कुक्कुट
- गोवशीय > बकरीवंशीय > भैसवंशीय > भेडवंशीय
- साहीवाल, रेडसिंधी (H.F.C)
- मुर्रा, सूरती, भदावरी, जाकरावादी
- 105

पशु संगणना : 2012

पशु	संख्या
◆ गोवंशीय	98.13 लाख
◆ बकरे व बकरियाँ	32.25 लाख
◆ भैस	13.90 लाख
◆ सुअर	4.39 लाख
◆ भेड वंशीय	1.68 लाख
◆ कुक्कुट	1.79 करोड़

पशु उत्पाद उपलब्धता			
क्र.	मद	उत्पादक	प्रति व्यक्ति उपलब्धता
1.	दुध	1277 हजार टन	132 मिली. ग्रा. प्रतिदिन
2.	अण्डा	15028 लाख अण्डा	57 अण्डा प्रतिवर्ष
3.	मांस	41383 हजार किग्रा.	1504 किग्रा. प्रतिवर्ष
स्त्रोत:- आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, पेज क्र.-104			

मत्स्य संसाधन

- ◆ छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.57 लाख हे. जल क्षेत्र उत्पादन है।
- ◆ जिसमें 1.48 लाख हे. जल क्षेत्र पर मछली उत्पाद किया जाता है। जो कुल जल क्षेत्र का 94.0 प्रतिशत है।

मत्स्य उत्पादन

मद	2014-15	2015-16	
मत्स्य बीज	11719.69	12501.19	लाख स्टैंडर्ड फ्राई
मत्स्योत्पादन	314164.66	176533	मीट्रिक टन

- ◆ मत्स्य सहकारिता समिति - 1315 है।

सिंचाई

♦ राज्य में सिंचाई के साधन (2014-15)

साधन	प्रतिशत	क्षेत्रफल	सर्वाधिक उपयोग
नहर	60.25 प्रतिशत	889345	बिलासपुर
नलकूप	35.43 प्रतिशत	523040	रायगढ़
तालाब	2.90 प्रतिशत	42923	जशपुर
कुंआ	1.39 प्रतिशत	20607	दंतेवाड़ा
कुल	100 प्रतिशत	1475915	

स्त्रोत - आयुक्त भू-अभिलेख बंदोबस्त छत्तीसगढ़ ।

♦ निरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र

क्षेत्रफल	-	14.14 लाख हेक्टेयर
प्रतिशत	-	31.03 प्रतिशत
सर्वाधिक क्षेत्र	-	रायपुर
न्यूनतम	-	दंतेवाड़ा [CG PSC (ARTO) 2017]

♦ कुल सिंचित क्षेत्र

क्षेत्रफल	-	19.29 लाख हेक्टेयर
प्रतिशत	-	34.02 प्रतिशत
सर्वाधिक क्षेत्र	-	जांजगीर चांपा
न्यूनतम क्षेत्र	-	नारायणपुर

कुल सिंचाई क्षेत्रफल एवं प्रतिशत

	क्षेत्रफल	प्रतिशत
सर्वाधिक	1. जांजगीर (212536) 2. रायपुर (144833) 3. धमतरी (141274)	1. जांजगीर 74% 2. रायपुर 64% 3. जांजगीर 60%
न्यूनतम	1. नारायणपुर (139) 2. दंतेवाड़ा (323) 3. सुकमा (1317)	1. नारायणपुर 0% 2. दंतेवाड़ा 0% 3. सुकमा 1%
कुल	1753086	31%
स्त्रोत:- आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, पेज क्र.-115		

सिंचाई परियोजना

वर्गीकरण	स्थापित	निर्माणाधीन
वृहद सिंचाई परियोजना	8	4
मध्यम सिंचाई परियोजना	35	4
लघु सिंचाई परियोजना	2432	565
एनीकेट	520	215

नोट : • परियोजना का नाम, जिला एवं स्थापना सन् नदी अपवाह तंत्र वाले अध्याय में देखना है।

• छ.ग. में सिंचाई की न्यूनतम सुविधा के दृष्टि (Lowest Irrigation Facilities) दंतेवाड़ा जिला में है।

[CG PSC (ARTO) 2017]

32

छ. ग. में पंचायती राज व्यवस्था

मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993

- 1994 में म.प्र. विधान सभा में पारित किया गया।
- 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त [CG PSC 2015]
- 25 जनवरी 1994 मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रथम बार प्रकाशित छ.ग. राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993। [CG Psc (MI) 2014]
- 1 नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छ.ग. राज्य में लागू किया किन्तु अधिसूचित (Notified) नहीं किया गया।
- छत्तीसगढ़ में राजपत्र (असाधारण) क्र. 134 दिनांक 18.06.2001 द्वारा यथावत अनुकुलन किया गया जिसे, विधियों का अनुकुलन आदेश (Called Adaption) कहते हैं। [CG PSC (ENG) 2015], [CG Vyapam (Loi.) 2015]
- समस्त विधियों में 'मध्यप्रदेश' शब्द जहाँ कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर छ.ग. शब्द स्थापित किया गया

पंचायती राज हेतु गठित समिति (BAGS)

नोट:- 1. बलवंत राय मेहता समिति - 1957

कि अनुसंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती की परिकल्पना सामने आई। इसी के तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से तात्कालिक प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंचायती राज व्यवस्था को आरम्भ हुआ।

2. अशोक मेहता समिति- 1977

इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राजमण्डल व जिला परिषद् की सिफारिश कि।

3. सरकारियाँ आयोग - 1985 - इन्होंने नियमित चुनाव के लिए कानून पर बल दिया

- इसके अलावा डॉ. जी राव समिति, लक्ष्मीमङ्गल सिंघवी समिति, आदि ने भी पंचायती राज व्याख्या पर सुझाव प्रस्तुत किये। पर सबसे महत्वपूर्ण 73वाँ संविधान संशोधन था। जिसके तहत संविधान में 11 वी अनुसूची जोड़ी गयी। और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को वास्तविक रूप दिया।
- इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 में पंचायतों से सम्बन्धित प्रावधान किये गये हैं। जिसमें 15 उपअनुच्छेद हैं।
- पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य शक्ति का विकेन्द्रीकरण।
- अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व में पंचायत सम्बन्धी प्रावधान है।
- जिस राज्य का जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्यवर्ती स्तर नहीं होता है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रवधान

- 73 वीं संविधान संशोधन 1992, भारत सरकार के बजट में प्रकाशक के बाद 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया।
- इस अधिनियम को भारतीय संविधान में भाग - 09 एवं 11 वी अनुसूची जोड़ी गयी।
- 73 वीं संविधान संशोधन वाला पंचायती राज्य अपनाने वाला प्रथम राज्य-म.प्र. है।
- छ.ग. पंचायती राज्य की तीन स्तरीय प्रणाली में - ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत जिला परिषद का प्रवधान किया गया।

[CGVyapam (FI) 2017]



(नोट - जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यस्तर नहीं होने के कारण, ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद का प्रावधान किया गया।)

- पंचायती राज, राज्य सूची का विषय है।
- 73 वीं संविधान संशोधन के समय पी.वी. नरसिम्हाराव प्रधान मंत्री थे।
- संविधान के 11 वी अनुसूची में 29 विषय प्रवधान पंचायत को शक्ति दिया गया है।
- 73 वीं संविधान संशोधन के तहत भाग - 9 में पंचायत जोड़ा गया है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 में पंचायत से संबंधित प्रवधान किये गये जो कि अनुच्छेद 73 (क) से अनुच्छेद 243 (ण) के रूप में विस्तार किया गया, इसके अंतर्गत निम्न प्रवधान है-

1. अनु. 243 (क) - ग्राम समा।
2. अनु. 243 (ख) - पंचायतों का गठन।
3. अनु. 243 (ग) - पंचायतों का संरचना।
4. अनु. 243 (घ) - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रवधान।
5. अनु. 243 (ङ) - पंचायतों का कार्यकाल।
6. अनु. 243 (च) - सदस्यता के लिए निरहताएँ।
7. अनु. 243 (छ) - पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार एवं उत्तरदायित्व।
8. अनु. 243 (ज) - पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और पंचायतों की निधियाँ।
9. अनु. 243 (झ) - राज्य वित्त आयोग का गठन।
10. अनु. 243 (ञ) - पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा।
11. अनु. 243 (ट) - पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग।
12. अनु. 243 (ण) - निर्वाचन सम्बंधित मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन।

[CGPSC (PRE.) 2015]

(किन्तु पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी निर्वाचन को यादिका पेश कर प्रश्नगत (Question only by apertition) किया जा सकता है-

- ग्राम पंचायत मामले में - अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) [Sub.-Division (Revenue)]
- जनपद पंचायत मामले में - कलेक्टर को [Collector]
- जिला पंचायत मामले में - संचालक पंचायत को [Director Panchayat]

[CGPSC (AP) 2016]

1. ग्राम सभा [Gram Sabha] (अनु. 243 (क))

- पंचायती राज व्यवस्था के बुनियादी इकाई - ग्राम सभा [CG PSC (ADVHS) 2014]

- 0 अधिसूचना -
 - राज्यपाल द्वारा ।
 - खण्ड और जिलो पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना राज्यपाल जारीकर्ता है।
(Notify the alteration in limites of Block and Zila Panchayat) [CG PSC (Pre) 2016]

- 0 सदस्य -
 - ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नामित समस्त व्यक्ति होंगे।

- 0 मतदाता सूची -

- प्रत्येक गांव की एक मतदाता सूची होगी। कोई भी व्यक्ति जो उस ग्राम का मागूली तौर पर निवासी है, उस गांव की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार होगा। परन्तु -
- कोई व्यक्ति एक से अधिक गांव की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का हकदार नहीं होगा

- 0 सम्मेलन [Meeting of Gram Sabha] - प्रत्येक 3 माह में एक बार (एक साल में चार बार) (ग्राम सभा बैठक की तारीख, समय व स्थान-सरपंच द्वारा या सरपंच के अनुपस्थितियों में उपसरपंच एवं दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सचिव द्वारा। निम्न चार अनिवार्य सम्मेलन। [CG PSC (Horticultur) 2016]

23 जनवरी

14 अप्रैल

20 अगस्त

02 अक्टूबर

- उपरोक्त चार तिथियों में ग्राम सभा का सम्मिलन होना अनिवार्य है। (किन्तु प्रत्येक वर्ष में 6 सम्मेलन आवश्यक है।)
- इसके अलावा यदि
 1. ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के $1/3$ सदस्यों द्वारा लिखित में मांग की जाये तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन करना आवश्यक है।
 2. जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा आदेश किये जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन करना आवश्यक है।

- 0 गणपूर्ति / कोरम [Quorum] :-

- कुल सदस्य संख्या का $1/10$ (एक दशमांश) [CG PSC (AP) 2016]
- जिसमें से $1/3$ महिलाएं (एक तिहाई) [CG PSC (Pre) 2015]
- ग्रामसभा में गणपूर्ति का उत्तरदायित्व (Responsible) संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंचों का होगा। [CG PSC (Pre) 2015]

- 0 अध्यक्षता [Preside Over The Meeting of Gram Sabha] :-

- सरपंच [Sarpanch]
- यदि सरपंच अनुपस्थित हो तो उपसरपंच [Dy. Sarpanch] द्वारा अध्यक्षता।
- उपसरपंच के अनुपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से अध्यक्ष [Person elected by the gram sabha at that time] का चुनाव किया जाएगा।

नोट:- अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से अध्यक्ष हमेशा सदस्यों से ही चुने जाएंगे जा अनु. जनजाति वर्ग से ही होगा कोई पंचायत पदाधिकारी नहीं होगा। [CG PSC (Pre) 2015]

★ स्थगन [Adjourned] :-

- यदि बैठक में कोरम पूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष द्वारा बैठक स्थगित किया जाता है। एवं आगामी बैठक के लिए तिथि निर्धारित किया जाता है। [CG Vyapam (Loi.) 2015]
- स्थगन के बाद की बैठक या सम्मेलन में कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं है परन्तु इस बैठक में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है।
- इसके आलावा निम्न पांच विषयों पर भी चर्चा नहीं की जा सकती :- [CG PSC (Pre) 2015]

1. वार्षिक कार्ययोजना
2. हितग्राहियों का चयन
3. वार्षिक बजट [Annual budget]
4. वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा प्रतिवेदन [Audit Report]
5. प्रशासनिक रिपोर्ट

नोट:- ग्राम सभा की साधारण बैठक (Ordinary Meeting) में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। [CG PSC (ARTO) 2017]

★ कार्यवाही :-

- ग्राम सभा की लगातार तीन बैठक में कोरम पूर्ति न होने पर संबंधित पंच एवं सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा तथा 2 आगामी ग्राम सभा में कोरम पूर्ति का अवसर दिया जाएगा। फिर भी कोरम पूर्ति न होने पर पद से हटाने [Dismissed] की कार्यवाही की जा सकेगी। [CG VYAPAM (RCPR) 2016], [CG PSC (Pre) 2015]
- लेकिन कोई भी अधिकारी द्वारा सरपंच के खिलाफ तब तक आदेश जारी नहीं किया जा सकता जब तक उसे सुनवाई का उचित अवसर ना दिया जाए।

★ संयुक्त सम्मेलन :-

ग्राम सभाओं के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होने पर ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मिलन बुलाया जाएगा। जिसमें लिया गया निर्णय प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा लिया गया निर्णय कहा जाएगा।

★ वार्षिक सम्मेलन :-

- वार्षिक सम्मेलन ग्राम पंचायत - मुख्यालय पर आयोजित किया जाता है।
- वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कम से कम तीन माह पूर्व आयोजित किया जाएगा जिसमें निम्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। (यह ग्राम पंचायत मुख्यालय में आयोजित किया जाता है। [CG PSC (Horti) 2016])

1. लेखाओं का वार्षिक विवरण। [Annual statement of accounts]
2. पूर्ण वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट।
3. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास एवं अन्य कार्य।
4. अंतिम समपरीक्षा और उसके संबंध में दिए गए उत्तर। [Audit Report of Last year]
5. ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट [Annual budget] और अगले वित्तीय वर्ष के वार्षिक योजना।
6. पंचायतों के कार्यों का विवरण [Work of panchayat]

[CG PSC (Horti) 2016], [CG PSC (Pre) 2015]

(नोट - सामाजिक और अंकेक्षण का कार्य - ग्राम सभा द्वारा किया जाता है।)

[CG PSC (Engg.-I) 2015]

चुनाव मत पत्र का रंग

पद	पत्र का रंग (colour of ballot paper)
1. पंच (Panch)	सफेद
2. सरपंच (Sarpanch)	नीला
3. जनपद सदस्य (Member of janpad panchayat)	पीला
4. जिला पंचायत सदस्य (Member of Jila Panchayat)	गुलाबी

नोट - यह मतपत्र का रंग स्थायी नहीं है यह प्रत्येक चुनाव के समय में परिवर्तित किया जाता है।

2. ग्राम पंचायत (अनु. 243 (ख))

पंचायतों का गठन :-

- जिला स्तर - जिला पंचायत
- जनपद/खण्ड स्तर - जनपद पंचायत
- ग्रामस्तर पर - ग्राम पंचायत

किसी भी क्षेत्र को जिला पंचायत/जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा दी जाती है।

पंचायतों की अवधि :-

प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने प्रथम सम्मेलन के नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी।

- किसी भी पंचायत के लिए निर्वाचन
- 5 साल की काल अवधि समाप्त होने के 6 माह पूर्व पूरा कर लिया जाएगा।

ग्राम पंचायतों में वार्डों का विभाजन :-

- प्रत्येक ग्रामपंचायत में वार्डों की संख्या कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जाएगी। कोशिश की जाती है प्रत्येक वार्डों की जनसंख्या लगभग बराबर रखा जायेगा।
- एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। [CG PSC (Pre) 2015]
- पंचों के चुनाव में बराबर मत (Equal vote) आने पर विहित प्राधिकारी लाट (lot) द्वारा निर्णय होता है। [CG PSC (Pre) 2015]

पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों का जमानत राशि		
पद	सामान्य वर्ग (रु.मे)	आरक्षित वर्ग
पंच	40 रु.	20 रु.
सरपंच	200 रु.	100 रु.
जनपद पंचायत सदस्य	500 रु.	250 रु.
जिला पंचायत सदस्य	1000 रु.	500 रु.

पंचायत में सदस्यों की संख्या एवं चुनाव

[C.G. PSC (AP) 2016], CG Vyapam (SA) 2016]

पद	पद संख्या		चुनाव प्रक्रिया	छ.ग. में संख्या	त्याग पत्र में सम्बोध
	अधिकतम	न्यूनतम			
पंच	20	10	प्रत्यक्ष	10971	सरपंच
सरपंच	01	01	प्रत्यक्ष		उपसंचालक पंचायत
उपसरपंच	01	01	अप्रत्यक्ष (नामजद)		सरपंच
जनपद सदस्य	25	10	प्रत्यक्ष	146	जनपद पंचायत अध्यक्ष
जनपद अध्यक्ष	01	01	अप्रत्यक्ष (नामजद)		कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर
जनपद उपाध्यक्ष	01	01	अप्रत्यक्ष (नामजद)	146	जनपद पंचायत अध्यक्ष
जिला पंचायत सदस्य	35	10	प्रत्यक्ष	27	जिला पंचायत अध्यक्ष
जिला पंचायत अध्यक्ष	01	01	अप्रत्यक्ष (नामजद)		संभागीय आयुक्त /
					अतिरिक्त आयुक्त
जिला पंचायत उपाध्यक्ष	01	01	अप्रत्यक्ष (नामजद)	27	जिला पंचायत अध्यक्ष

पंचायत समिति के सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं।

(CG PSC (ACF) 2016]

COMPETITION ACADEMY

3. ग्राम पंचायत का संरचना (अनु. 243 (ग))

- प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंच व सरपंच से मिलकर बनेगा।
- यदि कोई वार्ड या गांव किसी सरपंच या पंच को निर्वाचित नहीं करता है तो उस स्थान को भरने के लिए ऐसे वार्ड या गांव में निर्वाचन की कार्यवाही 6 माह के भीतर प्रारंभ की जाएगी। परन्तु फिर भी सरपंच का पद लंबित होने की दशा में प्रथम सम्मेलन में पंच अपने में से एक सरपंच का निर्वाचन करेंगे जो निर्वाचित सरपंच के पदभार ग्रहण करने तक सरपंच के समस्त कार्यों का निर्वहन करेंगे। [CG PSC (AP) 2016]
- इसमें स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जायेगा।
- लेकिन पंच का पद लंबित होने की दशा में ग्राम पंचायत की कोई भी कार्यवाही रोकੀ नहीं जाएगी।
- परन्तु फिर भी यदि कोई गांव या वार्ड किसी सरपंच या पंच को निर्वाचित नहीं होता है तो ऐसे गांव या वार्ड में निर्वाचन की कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग निश्चित नहीं करता और यदि आयोग यह निश्चय करता है की संबंधित गांव में सरपंच का नया निर्वाचन नहीं किया जाए तो पूर्व नियुक्त सरपंच ही सरपंच के पद भार पर बना रहेगा।
- प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत गठित होना अनिवार्य नहीं होगा। [CG PSC (ADM) 2013]

4. आरक्षण का प्रवधान (अनु. 243 (घ))

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एस.सी./एसटी के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे। आरक्षण का अनुपात उस वर्ग की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा।
- यदि किसी ग्राम पंचायत में एस.टी. या एस.सी वर्ग के लिए 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किये गये हैं वहां कुल स्थान का 25 प्रतिशत ओ.बी.सी. वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। [CG PSC (ENG1) 2015]
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आधा स्थान (50 प्रतिशत) आरक्षित रहेगा।
- यदि किसी ग्राम पंचायत में एस.सी./एस.टी. / ओ.बी.सी. वर्ग की कोई जनसंख्या नहीं है तो आरक्षण अपवर्जित कर दिया जाएगा।

मतदान हेतु अर्हता :-

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी गांव के मतदाता सूची में दर्ज है मत देने हेतु पात्र है।

5. पंचायत का कार्यकाल (अनु. 243 (ङ))

- प्रथम अधिवेशन में शपथ से 5 वर्ष तक अवधि होता है।
- यदि सरपंच का मृत्यु या पदत्याग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है तब तक स्थानापन्न सरपंच द्वारा कार्यवाही किया जायेगा। जो कि निर्वाचित पंचों में से एक होगा।
- पुनः चुनाव शेष कार्यकाल के होता है।
- यदि सरपंच का चुनाव किन्ही कारणों से लंबित है तो ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित पंच द्वारा सरपंच पद धरित करेगा। [CG PSC (ARTO) 2017]

6. अभ्यार्थी हेतु अर्हता (अनु. 243 (च))

कोई भी व्यक्ति एक सरपंच या उपसरपंच बन सकता है जो -

- पंच के रूप में निर्वाचित करने के लिए योग्य है।
- संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो
- किसी सहकारी सोसायटी का समापति या उप समापति ना हो।
- सरकारी नौकरी में न हो। (लाभ के पद में)
- 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो।

प्रथम सम्मेलन

- रिजल्ट प्रकाशन की तारीक से 30 दिन के भीतर ग्रामपंचायत का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता विहित प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

इस सम्मेलन में -

- शपथ ग्रहण समारोह (शपथ ग्रहण दिवस से उसका कार्यकाल अवधि का गणना किया जाता है)
- पंचों में से एक उपसरपंच का चुनाव किया जाएगा।
- यदि सरपंच सामान्य वर्ग का है तो निश्चित रूप से उप सरपंच आरक्षित वर्ग से निर्वाचित किया जाएगा।
- यदि सरपंच या उपसरपंच संसद या राज्य विधान सभा का सदस्य या किसी सहकारी सोसायटी का सभापति या उपसभापति हो जाता है तो उसी तिथि से सरपंच या उपसरपंच का पद रिक्त समझा जाएगा।
लेकिन सरपंच को इन बातों के होते हुए भी समस्त कार्यों के लिए अगले निर्वाचन तक ग्राम पंचायत का पंच समझा जाएगा।

एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध :-

- कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों या एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद ग्रहण नहीं कर सकता।
- यदि एक अभ्यर्थी कोई वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है और इसके बाद वह दूसरा वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन दाखिल करता है याद में दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है तो उसका पहला नामांकन पत्र अवैध नहीं होगा।
[CG PSC (AP) 2016]
- दो वार्ड में जीत कर एक को त्याग पत्र देना पड़ेगा।

बहिर्गामी सरपंच (पूर्व सरपंच) द्वारा का कार्य भार सौंपा जाना :-

- नये निर्वाचन सरपंच के बारे में यह समझा जाता है कि उसने प्रथम सम्मेलन की तारीख से पद ग्रहण कर लिया है।
- यदि पूर्व सरपंच अपने कब्जे में सरपंच की हैसियत से कोई कागज / प्रपत्र या सम्पत्ति रखा है तो उसे नये सरपंच को सौंप दे यदि वह सौंपने से इंकार करता है तो विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा पूर्व सरपंच को यह आदेशित कर सकता है कि समस्त प्रपत्र संपत्ति नये सरपंच, उपसरपंच व सचिव को तत्काल सौंपे।
- यदि बहिर्गामी सरपंच निर्देश का पालन नहीं करता है तो विहित प्राधिकारी उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा और दोषी पाए जाने की दशा में उसी तारीख से 6 वर्ष की अवधि के लिए पंचायत के किसी भी पद पर पदभार ग्रहण करने के लिए अयोग्य घोषित कर देगा।
- परन्तु राज्य सरकार यदि चाहे तो ऐसे अयोग्यता की समयवधि कम की जा सकती है या समाप्त की जा सकती है।

निर्वाचन की अधिसूचना :-

- सरपंच, उपसरपंच एवं पंच के निर्वाचन का प्रकाशन विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

अविश्वास प्रस्ताव :-

- उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों का $3/4$ बहुमत जो कुल पंचों के $2/3$ बहुमत से अधिक हो।

सरपंच व उपसरपंच :-

- तब उसी तिथि से सरपंच या उपसरपंच जिसके खिलाफ यह प्रस्ताव पारित हुआ है तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रहा जाएगा ।
- अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाये गए सम्मेलन में वह सरपंच या उपसरपंच अध्यक्षता नहीं करेगा जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।
- इसे अध्यक्षता सरकार द्वारा नियुक्त विहित प्राधिकारी करेगा किन्तु सरपंच या उपसरपंच को उस सम्मेलन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है।

सरपंच या उपसरपंच के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव :-

- सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत (Dismissed) किया जा सकता है। किसी अन्य प्रस्ताव से नहीं ।
[CG Vyapam (FCPR) 2016]
- एक वर्ष के काल अवधि के भीतर नहीं लाया जा सकता ।
[CG PSC (ENG1) 2015]
- कार्यकाल समाप्ति के 6 माह पूर्व नहीं लाया जा सकता।
- पूर्व अविश्वास प्रस्ताव के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता।
- यदि सरपंच या उपसरपंच उसके खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देना चाहता है तो प्रस्ताव पारित होने की तारीख से 7 दिवस के भीतर कलेक्टर को अपील करेगा ।
- कलेक्टर उस तारीख से जिस दिन उसे अपील प्राप्त हुआ है के 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा जो अंतिम निर्णय होगा ।

ग्राम पंचायत के सदस्यों को वापस बुलाया जाना या प्रत्यावर्तित (Recall)

- सरपंच को प्रत्यावर्तित (Recall) किया जा सकता है। [CG Vyapam (FCPR) 2016]
- वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक की ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर न कर दिया जाए और उसे विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत न कर दिया जाए।
- इसके बाद गुप्त मतदान की प्रक्रिया आरम्भ होगी
- कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत द्वारा सदस्यों को वापस बुलाया जा सकता है। इस प्रकार बहुमत पारित होने पर वह पर तत्काल प्रभाव से रिक्त समझा जाएगा।
- वापस बुलाने की प्रक्रिया तब तक नहीं लाई जा सकती जब तक :-
1. पद धारण करने की तारीख से ढाई वर्ष ($2\frac{1}{2}$ वर्ष) का कार्यकाल पूरा न हो जाए।
2. यदि उप चुनाव में निर्वाचित सरपंच का आधा कार्यकाल पूरा न हो गया हो ।

अपील :-

- 7 दिवस के भीतर कलेक्टर के पास । (अभियोगी पंचायत पदाधिकारी द्वारा)
- कलेक्टर द्वारा 30 दिवस के भीतर निर्णय।
- ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत (Removal of a Panch) - गुप्त मतदान (Secret ballot) की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाओं के बहुमत से हटाया जा सकता है।
[CG Vyapam (FCPR) 2016]

निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी को पद से हटाना :-

[CG Vyapam () 2016]

- किसी शासकीय भूमि अतिक्रमण पर
- छ: माह में आधे से अधिक पंचायतों के बैठकों में अनुपस्थित रहता है।
- वह पंचायत की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है।
- पंचायतों के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में वह नियोजित स्वीकार कर लिया है।

जनपद पंचायत (Janpand Panchayet) (खण्ड स्तर पर/जनपद स्तर पर)

छ.ग. विशिष्ट अध्ययन (हरिराम पटेल)

- संरचना
- निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन
- आरक्षण
- प्रथम सम्मेलन
- अभ्यर्थी की अर्हता
- प्रकाशन
- पदावधि
- अविश्वास प्रस्ताव

संरचना

प्रत्येक जनपद पंचायत निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा -

- निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य
- राज्य विधान सभा के ऐसे समस्त सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पूर्णतः या अंशतः पड़ते हैं।
(परन्तु यदि राज्य विधान सभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र पड़ता है जनपद पंचायत का सदस्य बनने योग्य नहीं होगा।)
- विधान सभा ऐसे सदस्य अनुपस्थिति बीगारी या किसी अन्य कारण से जनपद के सम्मेलन उपस्थित होने में असमर्थ है तो वे प्रतिनिधि निर्देशित कर सकते हैं।
- जनपद पंचायत क्षेत्र के कुल सरपंचों का $1/5$ (20 प्रतिशत) चक्रानुक्रम में एक वर्ष के अवधि के लिए विहित अधिकारी द्वारा लाट्री निकाल कर सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। जिनका कार्यकाल केवल एक वर्ष का होगा, जिसे पुनः सदस्यता नहीं दिया जा सकता है। वह सरपंच सदस्य पंचायतों के स्थायी समिति में सदस्य नहीं हो सकते। [CG PSC 2016]
- निर्वाचित सदस्यों को छोड़कर कोई भी सदस्य जनपद के अधिन समितियों का सदस्य नहीं बनाया जा सकता।

खण्ड का निर्वाचित क्षेत्र में विभाजन :-

- निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है।
- विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या कम से कम 5 हजार हो।
- परन्तु किसी जनपद क्षेत्र की कुल जनसंख्या 50 हजार से कम है तो वहां न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाएंगे।
- अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी। (अर्थात् जनपद पंचायत सदस्य न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 25 होगी)

आरक्षण - ग्राम पंचायत जैसे पूर्ववत

प्रथम सम्मेलन

- विहित प्राधिकारी द्वारा रिजल्ट प्रकाशन के यथाशीघ्र (30 दिनों के भीतर) जनपद का प्रथम सम्मिलन बुलाया जाएगा।
- जिसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा।
- शपथ समारोह आयोजित होगा।
- अध्यक्ष सामान्य वर्ग से निर्वाचित हुआ है तो निश्चित रूप से उपाध्यक्ष आरक्षित वर्ग का होगा।
- यदि जनपद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य भविष्य में संसद या राज्य विधान सभा सदस्य या सहकारी सोसायटी का सभापति या उप सभापति बन जाता है तो उसी तारीख से पद रिक्त समझा जाएगा। तथा पुनः निर्वाचन की कार्यवाही 6 माह के भीतर की जाएगी।

अभ्यर्थी की अर्हता

- उस जनपद क्षेत्र के किसी भी गांव की मतदान सूची में उसका नाम दर्ज है।
यदि कोई व्यक्ति फिर भी जनपद का कोई पद धारण कर लेता है और बाद में यह पता चलता है उसका नाम किसी गांव की मतदाता सूची दर्ज नहीं है तो तत्काल उसके पद से निलंबित कर दिया जाएगा।

अयोग्यता

1. संसद या राज्य विधान सभा का सदस्य न हो।
2. सरकारी सोसायटी का सभापति या उपसभापति न हो।
- यदि जनपद पंचायत में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो विहित प्राधिकारी द्वारा नियत तिथि में पुनः अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराया जाएगा।
- परन्तु सदस्य का पद लंबित होने की दशा में कार्यवाहियां रोकी नहीं जाएगी।
- यदि फिर भी कोई निर्वाचन क्षेत्र सदस्य को निर्वाचित नहीं करता तो ऐसे क्षेत्र में पुनः निर्वाचन की कार्यवाही जब तक नहीं की जा सकती तब तक निर्वाचन अयोग निश्चित न करे।

प्रकाशन

जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्य के नामों का प्रकाशन विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। जो प्रथम सम्मिलन की तारीख से अगले 5 वर्ष बने रहेंगे।

अविश्वास प्रस्ताव

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के ऊपर लाया जाएगा। (पूर्ववत् सरपंच व उपसरपंच जैसा)

अपील :- यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसके खिलाफ पारित किए गए अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देने की मंशा रखता है तो प्रस्ताव की तारीख से 10 दिन के भीतर संचालक पंचायत को अपील करेगा।
अपील की तारीख से 30 दिनों के भीतर संचालक पंचायत निर्णय देगा जो अंतिम निर्णय होगा।

जिला पंचायत (जिला स्तर पर)

- संरचना
- निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन
- आरक्षण
- प्रथम सम्मेलन
- अभ्यर्थी का अर्हता
- प्रकाशन
- पदावधि
- अविश्वास प्रस्ताव

संरचना

1. निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य
2. लोक सभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः शामिल हो।
3. राज्य सभा के ऐसे सदस्य जो उस क्षेत्र से नामित हुए हैं।
4. राज्य विधान सभा के सभी सदस्य जो उस जिले से नामित हुए हैं।
5. जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के नामित सदस्य होंगे।

नोट:- परन्तु लोकसभा सदस्य और विधान सभा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरिय क्षेत्र में पड़ता है जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे।

निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन

- विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 50 हजार हो।
- परन्तु किसी जिला क्षेत्र की कुल जनसंख्या 5 लाख से कम है तो वहां न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे।
- अधिकतम संख्या 35 से अधिक नहीं होगी।

पंचायत की पदाधिकारी होने की अयोग्यताएं/योग्यताएं

1. यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया है और उसकी सजा 6 माह से अधिक है तो उस व्यक्ति द्वारा सजा पूर्ण होने की तारीख से 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। (अपात्र)
2. यदि न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया हो। (अपात्र)
3. यदि न्यायालय द्वारा दिवालीया घोषित कर दिया गया हो। (अपात्र)
4. पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। (पात्र) या केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिय प्राधिकारी, सहकारी सोसायटी एवं सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो (पात्र)
5. उपरोक्त संस्थानों से भ्रष्टाचार या निष्ठाहिनता के चलते पद से निकाला गया हो। (अपात्र)
6. पंचायत के साथ किसी भी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई अंश न हो (पात्र)

7. किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसमें पंचायत के क्रिया कलापो से संबंधित विज्ञापन दिया जाता है उसमें कोई भी हित या अंश न हो। (पात्र)
8. पंचायत के कोई भी डिरेन्चर धारण न करता हो तथा उस व्यक्ति के प्रति पंचायत की कोई भी देयता न हो। (पात्र)
9. पंचायत की ओर से वैतनिक विधि व्यसायी नियोजित न किया हो (पात्र)
10. स्वेच्छा से विदेशी नागरिक ग्रहण कर लिया हो। (अपात्र)
11. नाम निर्देशन प्रस्तुत करने से पूर्ववर्ती पांच वर्ष की काल अवधि में अयोग्य घोषित किया गया है। तथा जब तक इस प्रकार अयोग्यता की अवधि कम या समाप्त न कर दी गई हो तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता।
12. 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। (पात्र)
13. राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गये किसी कानून में अयोग्य घोषित न किया गया हो। (पात्र)
14. जो साक्षर नहीं है (30 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों के लिए लागू नहीं)। (अपात्र)
15. जिनके निवास स्थल या परिसर के निर्वाचित होने के एक वर्ष के बाद भी जल बाहीत सौचालय न बना हो। (अपात्र)
16. पंचायत का कोई बकाया राशि जो मांग सूचना के 30 दिन के बाद भी जमा न किया गया है। (अपात्र)
17. किसी पंचायत भवन या सहकारी भवन पर अतिक्रमण किया हो। (अपात्र)

निम्न बातों के होने पर किसी भी पदधारी को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता :-

1. गांव के पटेल को (भू-राजस्व अधिनियम 1959 के तहत)
2. किसी संयुक्त स्टॉक कम्पनी के शेयर धारक होने पर भले ही उसमें पंचायत का शेयर हो
3. 25 वर्ष की आयु पूर्ण न होने पर

अपील :- अंतिम अपील 30 दिन के भीतर क्रमशः संचालक पंचायत एवं राजस्व मण्डल को की जा सकती है।

त्यागपत्र

- रिक्तओ का भरा जाना
- पंचायत के पदाधिकारियों का निलम्बन
- पंचायत के पदाधिकारियों का निलम्बन को पद से हटाया जाना
- एक से अधिक पद धारण करने का प्रतिषेध
- निर्वाचन प्रणाली
- पदाधिकारियों का कामकाज एवं सम्मिलन

पंचायत के पदाधिकारियों का त्यागपत्र

सरपंच एवं उपसरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विहित प्राधिकारी को सौपेंगे। जबकि ग्राम पंचायत के पंच सरपंच, को जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष को जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौपेंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

प.ग. विशिष्ट अध्ययन (हरिराम पटेल)

पंचायत में निम्न कारणों से रिक्तियां समत है—

1. त्याग पत्र
2. मृत्यु
3. अविश्वास प्रस्ताव
4. रिक्तित्व
5. संसद या विधान सभा का सदस्य हो जाने पर
6. सहकारी सोसायटी का संस्थापति उपसंस्थापति हो जाने पर

उपरोक्त कारणों से पद रिक्त होने की स्थिति में यथास्थिति ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव, जनपद जिलापंचायत स्तर पर विहित प्राधिकारी तत्काल पंचायत का एक विशेष सम्मिलन बुलाएगा जिसकी तिथि घट रिक्ति से 15 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सम्मिलन में पंच या सदस्य गण में एक कार्यकारी सरपंच या अस्थायी रूप से पद धारण करेगा जब तक नवीन सरपंच या अध्यक्ष की नियुक्ति न हो जाए। परन्तु यदि सरपंच / अध्यक्ष का पद एस.सी. / एस.टी. / ओ.बी.सी. वर्ग की महिला का है। तब अस्थाई सरपंच / अध्यक्ष उसी वर्ग की महिला को बनाया जाएगा। किन्तु यदि एस.सी./एस.टी. /ओ.बी.सी. वर्ग की महिला नहीं है तो अनारक्षित वर्ग की महिला को भी अस्थाई सरपंच / अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन

विहित प्राधिकारी ऐसे किसी पदाधिकारी को उसके पद से निलंबित कर सकेगा यदि उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता या आई पी सी के प्रायः के तहत 302 (हत्या) 303 (जेल में हत्या) 304 (गैर इरादतन हत्या) 305, 306, 318, 373 - 376 या महिला एवं बाल शोषण बलात्कार आदि इस प्रकार के जघन्य अपराध उसके खिलाफ यदि न्यायालय में विचारधीन है। निलंबन की सूचना 10 दिन की भीतर राज्य शासन को भेजी जायेगी। निलंबन आदेश की पुष्टि राज्य शासन द्वारा सूचना प्राप्ति के तारीख से 90 दिन के भीतर नहीं की जाती तो वह निलंबन निस्प्रभावी समझा जाएगा।

पंचायत के पदाधिकारियों को पद से हटाया जाना

राज्य शासन या विहित प्राधिकारी किसी भी पदाधिकारी को तत्काल पद से हटा सकेगा यदि वह जांच में निम्न बातों का दोषी पाया गया हो:-

- यदि वह अपने कर्तव्य निर्वहन में अवचार का दोषी हो
- यदि उसका पद भर बना रहना लोक हित में अवांछनीय हो (जनता के हित में न हो)


नोट:- निम्न आरोपों को अवचार की श्रेणी में शामिल किया जाता है।

- यदि कोई भारत की एकता सम्प्रभूता व अखण्डता को नुकसान पहुंचाता है।
- लिंग, जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव या स्थितियों के सम्मान में बाधा पहुंचाता है।
- पंचायत के पद पर रहते हुए कोई पदाधिकारी यदि पंचायत के किसी नियोजन नीकरी में अपनी स्थिति या प्रभाव का प्रयोग करते हुए अपने नाते रिश्तेदार को लाभ पहुंचाता है। (माता, पिता, पुत्र, पुत्री, बहन, बहनोई, जेठ, जेठानी, ननद देवरानी, भौसा भौसी बुआ फूफा साला साली)

एक से अधिक पद धारण करने का प्रतिषेध

यदि कोई व्यक्ति पंचायत के एक से अधिक पदों से पर निर्वाचित हो जाता है तो रिजल्ट प्रकाशन के 10 दिन के भीतर उसके द्वारा विहित प्राधिकारी को लिखित सूचना दी जाएगी कि वह किसी निर्वाचन क्षेत्र में सेवा करने की इच्छा रखता है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति सूचना से पूर्व किसी पंचायत के सम्मिलन में उपस्थित हुआ तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा की उसने उस पंचायत में पद के लिए विकल्प ले लिया है।

निर्वाचन प्रणाली



राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ

1. पंचायत के लिए कराये जाने वाले समस्त निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में नियंत्रण एवं निर्देशन की संपूर्ण शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के पास होगी।
2. निर्वाचन अवधि में किसी भी स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें कर्तव्य निर्वहन हेतु आदेशित कर सकता है जिसका पालन करना संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के लिए बाध्य होगा।

पदाधिकारियों का सम्मिलन एवं कामकाज

- रिजल्ट प्रकाशन के 30 दिन के भीतर होने वाले प्रथम सम्मिलन को आहूत करने तथा उसकी अध्यक्षता करने का दायित्व विहित प्राधिकारी का होगा।
- पंचायत के तीनों स्तर में पदाधिकारियों का सम्मिलन हर माह किया जाना सुनिश्चित किया गया है जिसका दायित्व संबंधित सरपंच/अध्यक्ष का होगा।
- यदि किसी माह सरपंच/अध्यक्ष सम्मिलन कराने में असमर्थ होता है तो ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव, जनपद स्तर पर जनपद सी ई ओ तथा जिला स्तर पर जिला सीईओ पूर्व अयोजित सम्मिलन की तारीख से 25 दिन के भीतर अगले सम्मिलन की सूचना एवं तिथि जारी करेगा।
- इसके पश्चात सरपंच या अध्यक्ष को अधिकतम 3 बार अवसर दिया जाएगा यदि वह लगातार 3 बार सम्मिलन बुलाने में असफल रहता है तो उसके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की जा सकेगी।

कोरम / गणपूर्ति :-

- ग्राम पंचायत - $1/2$ या 50 प्रतिशत (कुल सदस्यों का $1/2$) [CG PSC (EAP) 2016]
- जनपद पंचायत - कुल सदस्यों का $1/3$ [CG PSC (EAP) 2016]
- जिला पंचायत - कुल सदस्यों का $1/3$ [CG PSC (EAP) 2016]
- कोरम पूर्ति न होने की स्थिति में सरपंच/अध्यक्ष द्वारा बैठक स्थगित अगली तिथि का निर्धारण
- स्थगन पश्चात बैठक से कोरम की आवश्यक नहीं होगी परन्तु किसी नए विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी।
- निर्धारित तिथियों के अलावा यदि कुल पंच सदस्य में आधे से अधिक लोग लिखित में मांग करे तो सरपंच या अध्यक्ष को 7 दिन के भीतर बैठक बुलाना होगा।

- यदि सरपंच या अध्यक्ष इस बैठक को बुलाने में असफल होता है तो बैठक की मांग करने वाले सदस्य ही सम्मिलन आयोजित कर सकते हैं।
- ग्राम पंचायत पर आय व्यय निर्माण कार्य लेखा आदि रिपोर्ट सचिव के द्वारा हर माह के सम्मिलन में प्रस्तुत किया जाएगा जबकि जनपद एवं जिला पंचायत स्तर पर इस प्रकार की जानकारी क्रमशः जनपद सीईओ एवं जिला सीईओ के द्वारा 3 माह में एक बार प्रस्तुत की जाएगी।

अंतिम रूप से निपटाए विषय :- इन विषयों पर 6 माह तक कोई चर्चा नहीं की जा सकती यदि कुल निर्वाचित सदस्यों में से 3/4 सदस्य लिखित में मांग न करे या विहित प्राधिकारी जब तक आदेश जारी न करे।

अनुपस्थिति पर कार्यवाही :- यदि कोई पदाधिकारी या सदस्य बिना पूर्व सूचना के लगातार 3 सम्मिलन में अनुपस्थित रहता है या 6 माह में आयोजित होने वाली कुल बैठकों के आधे बैठकों में भी उपस्थित नहीं हो पाता तो उसके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जा सकती है।

परन्तु यदि सूचना देने के 30 दिन तक कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होता है तो सूचना स्वीकृत मानी जाएगी।

- स्वीकृत (30 दिन)
- अस्वीकृत
- उदासीनता - स्वीकृत

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ (Committees of gram panchayat)

- संविधान के उपबंधों के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर 5 से अधिक स्थायी समितियाँ होगी।
- कोई भी व्यक्ति एक ही समय में अधिकतम 2 समितियों का सदस्य हो सकता है।

नोट:- परन्तु कोई समिति अधिक से अधिकतम 2 ऐसे व्यक्तियों को संयोजित कर सकती है जिन्हें उस समिति को सौंपे गए विषयों का अनुभव हो।

- इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को कार्यवाहियों में भाग लेना का अधिकार होगा परन्तु मत देना का अधिकार नहीं होगा
- इसके अलावा आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में शासकीय अधिकारियों तथा अन्य विषय विशेषज्ञों को सलाह लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ

1. ग्राम पंचायत अपने कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए 5 से अधिक स्थायी समितियाँ गठित कर सकेगी और ऐसी समितियाँ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगी जो ग्राम पंचायत द्वारा उनको सौंपी जाएगी। समितियाँ ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन होंगी।
2. कोई भी व्यक्ति एक समय से, दो से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा। परन्तु कोई समिति अधिक से अधिक दो ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी जिन्हें उस समिति को सौंपे गये विषयों का अनुभव या विशेष ज्ञात है। इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को समिति की कार्यवाहियों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। परन्तु ग्राम पंचायत आवश्यकतानुसार बैठकों में शासकीय अधिकारियों एवं अन्य विषय विशेषज्ञों का सलाह लेने के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
3. स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और स्थायी समिति के काम काज के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने पंचों में से निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी।

क. सामान्य प्रशासन समिति

ग्राम पंचायत के प्रशासन को स्थापना और सेवाओं ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण का अनुमोदन, बजट लेखे, कराधान तथा अन्य वित्तीय विषय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और ग्राम पंचायत को समनुदेशित किये गये तथा किसी अन्य समिति को आवंटित किए गए समस्त अन्य विषय।

ख. निर्माण तथा विकास समिति

ग्राम पंचायत के क्षेत्र में योजना, प्रबंधन, कार्यान्वयन तथा सभी निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण अभियन्ताओं को योजना, बजट तथा कार्यान्वयन, सभी प्रकार की स्कीमों और कार्यक्रम संचार में सुधार, ग्राम कुटीर तथा खादी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर विशेष महिला तथा बच्चों के लिए उद्यान और उपवन (पार्क) भविष्य में निर्माण हेतु अपनी स्वयं की परियोजनाओं का प्रस्ताव प्राणीय विद्युतीकरण, वन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी।

ग. शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति

ग्राम पंचायत क्षेत्र में के सभी विद्यालयों के निरीक्षण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पूर्ववर्ती माह के दौरान शिक्षकों को उपस्थिति का संपादन, अनीपचारिक शिक्षा की प्रदोन्नति तथा सहायता, प्रौढ़-शिक्षा जिसमें आई सी डी, एन, ओगनवाडी, बालवाडी तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, टीकाकरण तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम सहित सभी कल्याण स्कीमों को प्रोत्साहन और निरीक्षण तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण स्कीम तथा स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण तथा उनकी उपस्थिति का प्रमाणन सामाजिक रूप से पिछड़े तथा समाज के विकलांग वर्गों तथा लोगों के लिए कल्याण स्कीमों का निर्माण तथा क्रियान्वयन तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में आरोग्यता तथा स्वच्छता गृहिक एवं बाल विकास समाज कल्याण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तथा उन लोगों के लिए जो नरीदी रेखा के नीचे हैं विकास तथा विशेष कार्यक्रम खेलकूद।

मुख्य तौर पर -

1. प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education)
2. महिला एवं शिक्षा कल्याण (Women and Child Welfare)
3. दुर्गति (Prougth)

घ.) कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति

ग्राम पंचायत क्षेत्र में कृषि भूमि विकास तथा संरक्षण उन्नत बीज, उद्यानिकी, डेयरी, मत्स्यपालन, लघु सिंचाई तथा श्रम।

ड.) राजस्व तथा वन समिति होगी जो इस प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा विशिष्टतः बुलाए गए सम्मेलन में पंचों द्वारा अपने क्षेत्र में से निर्वाचित किए जाएंगे।

च.) सरपंच सामान्य प्रशासन समिति का सभापति तथा उप सरपंच शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समितियों के सभापति होंगे, वे समिति अपने में से निर्वाचित करेंगे।

स्थायी समितियों के सदस्यों की अवधि

ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के सभापति और सदस्यों की अवधि वही होगी जो उस ग्राम पंचायत की हो।

आकस्मिक रिक्ति

स्थायी समिति के सदस्यों में से किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अनहिता या उसकी पदावधि के अवनतन के पूर्व कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गयी सम्झी जाएगी और ऐसी रिक्ति नियम 3(2) में वर्णित रीति में यथा साध्य शीघ्रता से भरी जाएगी।

[CGP (PRE) 2015]

जनपद पंचायत / जिला पंचायत की स्थायी समितियाँ (Committees of Janpad Panchayat and Zila Panchayat)

प्रत्येक जनपद/जिलापंचायत में निम्न 5 स्थायी समितियाँ होती हैं। [CG Vyapam (LoI) 2015]

1. सामान्य प्रशासन समिति (General Administration Committees) :-

स्थापना, प्रशासन, विकास कार्य योजना, बजट, लेखाकराधान, वित्तीय मामले तथा ऐसे विषय जो किसी अन्य समिति को आंदटित नहीं किए गए हैं।

2. शिक्षा समिति (Education Committees) :-

पौढ़ शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, महिला एवं शिशु कल्याण, भूकंप, औला, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मदद निषेध, आदिम जाति एवं इरिजन कल्याण आदि।

3. कृषि समिति (Agriculture Committees) :-

कृषि पशुपालन, विद्युत मृदा, संरक्षण, वृक्षारोपण, मत्स्यपालन, खाद्य एवं बीज वितरण आदि।

4. संचार एवं संकर्म समिति :-

लघु सिंचाई, ग्रामीण, जल प्रदाय, जल निकासी (नाली) की व्यवसायी, ग्रामीण गृह आवास निर्माण आदि।

5. सहकारिता एवं उद्योग समिति :-

बाजार, कुटिर उद्योग, लघु उद्योग आदि।

उपरोक्त 5 समितियों के अलावा किसी अन्य विषयों के लिए जनपद जिला के विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से एक या अधिक अन्य समितियों का भी गठन किया जा सकता है।

शिक्षा समिति

- इन दोनों समितियों को छोड़कर अन्य समितियों में कम से कम 3 सदस्य होंगे।
- किन्तु कोई भी समिति अधिकतम 2 ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी जो समिति के विषय से संबंधित हो जिनके मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- शिक्षा समिति के सदस्यों में कम से कम एक महिला तथा एक एस सी / एस टी / कन एक व्यक्ति होना अनिवार्य है।

समितियों के सदस्य (Member of committees)

- विधानसभा का ऐसा प्रत्येक सदस्य जो उस जनपद पंचायत का सदस्य है प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा। [CG Vyapam (LoI) 2015]
- संसद का ऐसा प्रत्येक सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है अधिकतम 2 समितियों का ही पदेन सदस्य होगा (स्वेच्छानुसार सांसद 2 समिति का चयन कर सकता है।) [CG Vyapam (LoI) 2015]
- विकास खण्ड सदस्य जिला पंचायत की अधिकतम 2 समिति के पदेन सदस्य हो सकते हैं तथा प्रत्येक समिति एक समय में अधिकतम 2 विधायकों को पदेन सदस्य बना सकती है।
- जनपद/जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। [CG Vyapam (LoI) 2015]

समापति

सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति अपने निर्वाचित सदस्यों में से समापति का चुनाव करेगी।

परन्तु:-

1. जनपद या जिला पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन समापति होगा।
2. उसी प्रकार जनपद / जिला पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन समापति होगा।
3. किन्तु जनपद / जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष उनकी समिति से भिन्न किसी अन्य समिति के सदस्य नहीं होंगे।
4. कोई भी व्यक्ति एक ही समय में सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर अधिकतम 3 समितियों का सदस्य बन सकता है।

समिति से त्यागपत्र

समिति सदस्यों / समापति का त्यागपत्र यथास्थिति जनपद पंचायत / जिला पंचायत अध्यक्ष को सौंपा जाता है।

विधि एवं सहायता अनुदान

राज्य शासन प्रत्येक पंचायत में कुछ विधि विहित कर सकेगी। इसके अतिरिक्त राज्य शासन चाहे तो किसी पंचायत विशेष को सहायता अनुदान भी प्रदान कर सकती है।

पंचायत निधि

प्रत्येक पंचायत में एक निधि होगी जो पंचायत निधि के नाम से जाना जाएगा। जिसमें पंचायत की समस्त प्राप्तियों एवं राशियों को रखा जाएगा। यह पंचायत निधि निकटतम सरकारी खजाने उपखजाने डाकघर सरकारी बैंक अनुसूचित बैंक या उसकी शाखा में रखे जाएंगे।

रकम अहरिता करना

- ग्राम पंचायत निधी से रकम सरपंच एवं सचिव के संयुक्ताक्षर से ही अहरिता किया जाएगा।
- सचिव की अनुपस्थिति में जनपद सीईओ विहित प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा।
- जनपद एवं जिलापंचायत में पंचायत निधि से रकम का अहरण सीईओ के हस्ताक्षर से किया जाएगा।
- परन्तु रकम अहरित करने से पूर्व सामान्य प्रशासन समिति से अनुमोदन लेना आवश्यक है।

सहायतानुदान देने की शक्ति

कोई भी पंचायत राज्य शासन के विहित प्राधिकारी की मंजूरी से सार्वजनिक उपयोगित के कार्यों के लिए सामाजिक सहायतानुदान दे सकती है।

सचिव एवं सीईओ (CEO) की नियुक्ति विहित प्राधिकारी करेगा

सचिव एवं सीईओ की नियुक्ति तब ग्राम पंचायत का सचिव नहीं बन सकता जहाँ पंचायत का कोई भी पदाधिकारी उसका नातेदार हो।

पंचायत के अन्य अधिकारी एवं सेवकों की नियुक्ति

पंचायत विहित प्राधिकारी की अनुमति से अन्य कर्मचारियों एवं सेवकों की नियुक्ति कर सकते हैं।

प्रत्येक पंचायत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपने प्राप्ति एवं व्यय के लिए बजट का निर्माण कर विहित प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

जिला पंचायत निधि

जिला स्तर पर एक अन्य जिला पंचायत राज्य निधि होती है। जिला पंचायत यदि चाहे तो इस निधि से अपने पंचायतों को रकम आवंटित कर सकती है।

आरोपण

ग्राम पंचायत - जनपद पंचायत की पूर्वानुमति से

जनपद पंचायत - जिला पंचायत की पूर्वानुमति से कोई भी कर आरोपित कर सकती है।

आरोपण के विरुद्ध अपील

विहित प्राधिकारी के समक्ष

पंचायत का नियंत्रण एवं निरीक्षण

राज्य शासन द्वारा विहित प्राधिकारी करेगा। जिनके द्वारा पंचायत के किसी भी प्रकार के प्रपत्र दस्तावेज आदि की मंग करने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा साथ ही आदेश निष्पादन करने एवं निरीक्षण की शक्ति भी होगी।

पंचायत के कार्यों की जांच

कलेक्टर द्वारा विहित प्राधिकारी जो द्वितीय श्रेणी से निम्न स्तर का नहीं होगा।

पंचायत-पंचायत, पंचायत-स्थानीय प्राधिकारी के बीच विवाद

पंचायत - पंचायत तथा पंचायत एवं स्थानीय प्राधिकारी के बीच विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

पंचायत उपबन्ध

(अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Area) पर विस्तार) अधि. 1996 (24 दिसम्बर 1996)

ग्राम सभा — इस क्षेत्रों में हर ग्राम सभा की अध्यक्षता सदस्यों में से निर्वाचित व्यक्ति द्वारा ही कि जायेगी जो अ.ज.जाति वर्ग का ही होगा।

— ग्राम सभा का एक सदस्य जो सदस्य जो उसमें उपस्थित हो।

— एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है।

[CG Vyapam (Loi.) 2015]

विशेष — राज्य वि.स. इन क्षेत्रों में ऐसा कोई भी कानून पारित नहीं कर सकती जो उनकी सामाजिक एवं धार्मिक आस्था रूढ़िवादिता एवं परम्परा, सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों आदि में बाधा उत्पन्न करता हो।

इन क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को विवाद निपटाने के अपने पराम्परागत तरीकों के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है।

आरक्षण — पंचायत कि सभी स्तरों एवं सभी पदों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्थान आरक्षित रहेगा। जो उदा वर्ग के गांव के कुल जनसंख्या के अनुपात में होगा।

विशेष — किसी भी दशा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण आधे से कम नहीं होगा।

शक्तियाँ — राज्य विधान सभा अनुसूचित क्षेत्रों कि ग्राम सभाओं में विभिन्न शक्तियाँ विहित कर सकेगी।

1. मद्यनिषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग का विनियमित करने की शक्ति।
2. गौण वनोपज का स्वामित्व।

अन्य

निविदत्त मत (Tender Vote) — यह मत पत्र (ballot Paper) उस मतदाता (Voter) को दिया जाता है जिसने अभी मत नहीं दिया है किन्तु उसके नाम से मत दिया जा चुके हैं।

- यह मतदान केन्द्र में उपयोग किए जाने वाले मत पत्रों (ballot paper) के समान होता है।
- यह मतदान केन्द्र को प्रदत्त अंतिम मतपत्र होता है।
- सामान्य परिस्थिति में इसकी गणना नहीं किया जाता है।
- यह पीठाधीस अधिकारी (Presiding officer) के हाथ में दिये जाते हैं।
- यदि पंचायत और छावनी बोर्ड (Cantonment Board) के मध्य विवाद होता है तो इसका अंतिम निर्णय राज्य सरकार, द्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अधीन।

[CG PSC (Pre.) 2016]

33

छ.ग. का शोध अनुसंधान संस्थान एवं मुख्यालय

अनुसंधान संस्थान	मुख्यालय	सन्
♦ राज्य वन मुख्यालय	रायपुर	
♦ राज्य वन अनुसंधान शोध संस्थान	बिलासपुर	
♦ पर्यावरण संरक्षण मण्डल	रायपुर	
♦ काजू अनुसंधान संस्थान	बस्तर	
♦ छ.ग. का वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय	जगदलपुर	
♦ छ.ग. का वन्य प्राणी प्रबंधन विद्यालय	परसदा (रायपुर)	
♦ कोसा अनुसंधान केन्द्र	बस्तर	
♦ छ.ग. का शासकीय मुद्रालय	राजनांदगांव	
♦ राज्य पुलिस अकादमी	चन्द्रखुरी (रायपुर)	
♦ आर्म्स पुलिस अकादमी मुख्यालय	भिलाई (दुर्ग)	
♦ छ.ग. स्पेशल टास्क फोर्स मुख्यालय	अंजोरा (दुर्ग)	
♦ फिंगर प्रिंट ब्यूरो मुख्यालय	रायपुर	
♦ पी.एच.ब्यू. (P.H.Q.)	नया रायपुर	
♦ रेल्वे पुलिस मुख्यालय	रायपुर	
♦ न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान	बिलासपुर	
♦ राजस्व मण्डल मुख्यालय	बिलासपुर	(2002)
♦ शासकीय मुद्राणालय	राजनांदगांव	
♦ क्रेडा मुख्यालय (CREDA)	रायपुर	25 मई 2001
♦ छ.ग. की विद्युत मण्डल	रायपुर	
♦ छत्तीसगढ़ की खेल मुख्यालय	रायपुर	
♦ छत्तीसगढ़ की नेशनल हैण्डबाल	भिलाई	
♦ छ.ग. की खेल राजधानी	भिलाई	
♦ SECL का मुख्यालय (छ.ग. में)	बिलासपुर	1987
♦ छ.ग. का खनिज विकास निगम मुख्यालय (CMDC)	रायपुर	7 जून 2001
♦ छ.ग. के उद्योग विभाग का प्रांतीय मुख्यालय	दुर्ग	
♦ राज्य भंडार गृह निगम	रायपुर	
♦ कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र	महासमुंद	
♦ कृषक प्रशिक्षण केन्द्र	रायपुर	
♦ लघु धान्य फसल अनुसंधान केन्द्र	बस्तर	
♦ छ.ग. माटी कला बोर्ड	रायपुर	14 मार्च 2012
♦ छ.ग. पर्यटन मण्डल (C.G. Tourism Board)	रायपुर	2002

[CG PSC (Pre.) 2016]